

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन (म0प्र0)

क्रमांक : 354 / 2020

उज्जैन, दिनांक- 26/08/2020

// रिमाण्ड ड्यूटी आदेश //

प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से माह सितम्बर, 2020 में आने वाले सार्वजनिक अवकाशों में जिला उज्जैन के विभिन्न थानों, आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं रिमाण्ड के निराकरण हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट उनके नाम के आगे दर्शाये गये दिनांकों पर दोपहर 03:00 बजे से 5:00 बजे तक अपने न्यायालय में आवश्यक कर्मचारियों सहित उपस्थित होकर, प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं रिमाण्ड का निराकरण करेंगे।

तहसील उज्जैन			
क	अधिकारी का नाम	पद	सितम्बर 2020
1	श्री अतुल यादव	जे.एम.एफ.सी.	06 / 09 / 2020
2	सुश्री रापना शिवहरे	जे.एम.एफ.सी.	13 / 09 / 2020
3	श्री हेमंत मेहरा	जे.एम.एफ.सी.	17 / 09 / 2020
4	सुश्री सोनाक्षी जोशी	जे.एम.एफ.सी.	19 / 09 / 2020
5	श्रीमती दीपा पोल	जे.एम.एफ.सी.	20 / 09 / 2020
6	श्रीमती गीनू पचौरी	जे.एम.एफ.सी.	27 / 09 / 2020
तहसील नागदा			
1	श्री अश्विन परमार	जे.एम.एफ.सी.	06 एवं 13 / 09 / 2020
2	श्रीमती पूनम डामेवा	जे.एम.एफ.सी.	17 एवं 19 / 09 / 2020
3	श्री नदीम जावेद खान	जे.एम.एफ.सी.	20 एवं 27 / 09 / 2020
तहसील बड़नगर			
1	श्री सज्जैन सिंह सिराओदिया	जे.एम.एफ.सी.	06 एवं 19 / 09 / 2020
2	श्री दशरथसिंह भिडे	जे.एम.एफ.सी.	13 एवं 17 / 09 / 2020
3	सुश्री अंजलि अग्रवाल	जे.एम.एफ.सी.	20 एवं 27 / 09 / 2020
तहसील तराना			
1	श्री श्रीकृष्ण डागलिया	जे.एम.एफ.सी.	06 एवं 13 / 09 / 2020
2	श्रीमती विधि डागलिया	जे.एम.एफ.सी.	17 एवं 19 / 09 / 2020
3	कु. वंदना मालवीय	जे.एम.एफ.सी.	20 एवं 27 / 09 / 2020
तहसील महिदपुर			
1	श्री माधव प्रसाद नागदेव	जे.एम.एफ.सी.	06 एवं 19 / 09 / 2020
2	कु. उर्मिला चौहान	जे.एम.एफ.सी.	13 एवं 17 / 09 / 2020
3	श्री सोहनलाल भगोरा	जे.एम.एफ.सी.	20 एवं 27 / 09 / 2020
तहसील खाचरौद			
1	श्री गिरीश कुमार शर्मा	जे.एम.एफ.सी.	06, 13, 17, 19, 20 एवं 27 / 09 / 2020

नोट :-

- 1- माननीय उच्च न्यायालय अथवा राज्य शासन द्वारा उपरोक्त अवधि में उक्त आकस्मिक/स्थानीय अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई आकस्मिक/स्थानीय अवकाश घोषित करने की स्थिति में एवं ऐसा कोई अवकाश जो उपरोक्त सूची में नहीं है, उस अवकाश वाले दिन मुख्यालय उज्जैन में श्री राजेश नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन रिमाण्ड का कार्य करेंगे एवं अन्य तहसीलों में ऐसे आकस्मिक/स्थानीय अवकाश वाले दिन उपस्थित सबसे वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड का कार्य आवश्यक रूप से संपादित करेंगे।
- 2- मजिस्ट्रेट आवश्यक कार्य/विपरीत परिस्थितियों में आपस में रिमाण्ड ड्यूटी की दिनांक में अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित सहमति लेकर परिवर्तन कर सकते हैं। इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उज्जैन को देवे ओर इस संबंध में स्टाफ को सूचित करें।
- 3- रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्य इस न्यायालय के आदेश क्रमांक- 353 दिनांक- 26/08/2020 के अनुसार नियुक्त कर्मचारीगण द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

sd-


(श्रीमती तृप्ति पाण्डेय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (M0प्र0)

प्रतिलिपि :-

क्रमांक- 354 /2020

उज्जैन, दिनांक- 26/08/2020

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. श्री/श्रीमति/कु. समस्त ए.सी.जे.एम/जे.एम.एफ. सी.उज्जैन/नागदा/खाचरौद/बड़नगर/महिदपुर/तराना, जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ई-मेल/वाट्सअप के माध्यम से प्रेषित।
3. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन उज्जैन/नागदा/खाचरौद/बड़नगर/महिदपुर/तराना जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सिस्टम आफिसर/सिस्टम असिस्टेंट उज्जैन की ओर सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवश्यक रूप से ई-मेल से सूचित करने हेतु प्रेषित।


(श्रीमती तृप्ति पाण्डेय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (M0प्र0)